विद्यालय को भेंट किए लेपटॉप

निवाई। ग्राम पंचायत राहोली में नवीन शिक्षा सत्र-2025-26 में राहोली के शिक्षक एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफार्म पर उतारने का सपना साकार करते दिखाई दे रहे है। पीईईओ व प्रधानाचार्य डॉ.योगेन्द्र सिंह नरूका की प्रेरणा से शिक्षक गौरीशंकर चौधरी, गुलाबचन्द वर्मा व विनय वर्मा ने विद्यालय के शैक्षिणक नवाचारों के लिए तीन लेपटॉप विद्यालय को भेंट किए हैं।इससे पूर्व शिक्षक राजूलाल बैरवा व संजय व्यास ने कलर प्रिन्टर व शिक्षक गौरीशंकर चौधरी ने लेजर प्रिन्टर भेंट किया था। विद्यालय के पूर्व छात्र भी दो टीवी विद्यालय को भेंट कर चुके हैं। इसके साथ ही विद्यालय को समग्र शिक्षा राजस्थान द्वारा दिए गए इन्टरेक्टिव टीवी पैनल से पहले से ही ऑनलाइन डिजिटल कक्षाओं का संचालन हो रहा है। वहीं नवीन सत्र में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन ऐप के द्वारा होगी। इसके साथ ही विद्यालय सोशियल मीडिया के सभी प्लेटफार्म फेसबुक, एक्स, यूट्ययूब, इन्स्टाग्राम पर पहले से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। पीईईओ राहोली की शिक्षिका पूजा पाटीदार ने शैक्षिणक गतिविधियों को लेकर द लाइट ऑफ नॉलेज नाम से यूट्ययूब चैनल भी स्टार्ट किया है।

बैठक आयोजित

कोटपूतली। कस्बे के लक्ष्मी नगर स्थित श्रीराम मंदिर में शनिवार को लक्ष्मी नगर अन्डरपास संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन समिति अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें समिति के सदस्यों के सुझाव आये कि लक्ष्मी नगर की साईड में 06 वार्ड आते है। इस साईड के लोगों को 05 किलोमीटर का चक्कर लगाकर राजमार्ग के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जो काफी दूर पड़ता है।

खोया पाया

मेरा मकान नं.34/512 प्रताप नगर, सांगानेर का मूल आंवटन पत्र व डिक्लेरेशन पत्र गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें- ऊषा प्रसाद 9829036168

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक :- DHC-II/265 दिनांक :- 19/5/25

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 78/36, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्रीमती चंचल शर्मा पत्नी श्री सुरेश नारायण शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1921 दिनांक 20.01. 2004 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 30.06.2004 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 4126 दिनांक 13.03.2005 के द्वारा श्रीमती चंचल शर्मा पत्नी श्री सुरेश नारायण शर्मा के नाम अंदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर मे दिनांक 23.03.2005 को करवाया गया। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 01.12.2008 के द्वारा श्री छोटू राम गढवाल पुत्र श्री साई राम गढवाल के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 850 दिनांक 05.07.2012 के द्वारा श्री विनोद बिहारी सक्सैना पुत्र श्री मधन बिहारी सक्सैना के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। इसके पश्चात श्री विनोद बिहारी सक्सैना की मृत्यु दिनांक 16.05.2024 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती मिथलेश कुमारी सक्सैना पत्नी स्व. श्री विनोद बिहारी सक्सैना के द्वारा मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।

उक्त उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध मे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 7 दिवस मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती मिथलेश कुमारी सक्सैना पत्नी स्व. श्री विनोद बिहारी सक्सैना के पक्ष मे उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना दि. 24.05.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लॉट न. जी-85, योजना मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, बनीपार्क विस्तार, जयपुर क्षेत्रफल 220.00 वर्ग गज का श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने श्री घनश्याम माथुर से जरिये विक्रय-पत्र दिनांक 06.03.1969 को खरीद किया था। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार जैन का स्वर्गवास दिनांक 11.10.2011 को हो गया। श्री राजेन्द्र कुमार जैन के स्वर्गवास पश्चात उनके वारिस/ उत्तराधिकारी में से उनके पुत्र श्री रवि जैन एवं पुत्रीयां श्रीमती रश्मि जैन, श्रीमती रजनी छाबड़ा, श्रीमती रेखा भण्डारी व श्रीमती मीना जैन ने उक्त प्लॉट में निहित अपना-अपना अविभाजित हिस्सा अपनी माता श्रीमती सुशीला जैन को जरिये पंजीकृत हक-त्याग पत्र दिनांक 28.12.2011 को त्याग कर दिया। तत्पश्चात् श्री रवि जैन ने उक्त सम्पति पर ICICI Bank Ltd. से ऋण प्राप्त कर लिया जिसके हेतु सम्पति मालकिन श्रीमती सुशीला जैन ने उक्त सम्पति को ICICI Bank Ltd. में रहन रख दिया। तत्पश्चात् श्रीमती सुशीला जैन ने उक्त प्लॉट की पंजीकृत वसीयत दिनांक 15.12.2020 को अपने पुत्र श्री रवि जैन के हक में कर दी। तत्पश्चात श्रीमती सुशीला जैन का स्वर्गवास दिनांक 14.03.2023 को हो गया। उनके स्वर्गवास पश्चात् उक्त वसीयत के आधार पर काबिज मालिक श्री रवि जैन ने उक्त कम्पनी में जारी ऋण में अपनी माता श्रीमती सुशीला जैन का नाम हजब कर उक्त ऋण को अपने नाम से जारी रखने हेतु ICICI Bank Ltd. में आवेदन किया है। उक्त सम्पत्ति के बाबत् एवं स्व. श्री राजेन्द्र कुमार जैन एवं स्व. श्रीमती सुशीला जैन के वारिस/ उत्तराधिकारी की हैसियत से किसी भी व्यक्ति, संस्था, जनसाधारण आदि को कोई भी आपत्ति हो तो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में अपना हक या आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करे, अन्यथा उसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नहीं होगा। (पीयूष मार्गव एडवोकेट) मो. 9829300154
6, रघुकमल निवास, गणपति प्लाजा के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर
E-mail:-vkbhargavaassociates@gmail.com

नाम परिवर्तन

मैं संतोष S/o हरी शंकर निवासी B-52, Ward No. 16 Vijay Nagar से अपना नाम बदलकर संतोष जंगम S/o हरी शंकर जंगम निवासी 22, आदर्श कृष्ण नगर रख लिया है, भविष्य में मुझे संतोष जंगम S/o हरी जंगम के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

मैंने अपना नाम पारस विद्या (Paras Vaidhya) से बदलकर पारस कुमार विद्या (Paras Kumar Vaidhya) रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पता बी-2 तारा नगर, अल्पना कॉलोनी नियर खातीपुरा पुलिया झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान-302012

मैंने अपना नाम सहजाद खातून (Shazad Khatoon) से बदलकर शहजाद खातून (Shahzad Khatoon) पुत्री श्री Maj Abdul Wahid Khan रख लिया है। निवासी- 303/367, मोनार्क रेजिडेंसी, उद्योग नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दिव्य ज्योति शक्ति कलश रथ यात्रा का कोटपूतली में जगह-जगह स्वागत किया

कोटपूतली। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में जिला कोटपूतली बहरोड़ की सभी तहसीलों में क्रमानुसार पूरे क्षेत्र में दिव्य ज्योति शक्ति कलश रथ यात्रा के आगमान पर सभी नगर एवं ग्राम पंचायत, ग्राम वासियों द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया जा रहा हैं। इसी क्रम में रथ यात्रा का कोटपूतली आगमन पर भी शानदार स्वागत किया गया।

■ **कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर व आरती उतार कर किया भव्य स्वागत**

गौरतलब है कि यह ज्योति शक्ति कलश रथ यात्रा परमपूज्य गुरुदेव पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य व शांतिकुंज हरिद्वार में विगत 98 वर्ष से जल रहे अखण्ड दीपक में व्याप्त दिव्य चेतना शक्ति का प्रतीक है। जिससे महाकाल के महा अनुष्ठान से राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए एक महा रक्षा कवच तैयार होगा एवं व्यक्तिगत जीवन में कष्ट, कठिनाईयां भी कम होगी, दैविक अनुदान वरदान भी अनवरत मिलते रहेगें।

कोटपूतली में नगर भ्रमण के दौरान आरती उतार कर रथा यात्रा का स्वागत करते लोग।

दिव्य ज्योति शक्ति कलश रथ यात्रा कार्यक्रम के संयोजक बद्री प्रसाद शर्मा व जिला समन्वयक कंवरपाल जांगिड़ ने कोटपूतली बहरोड़ जिले के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में ज्योति कलश रथ यात्रा में शामिल होकर माँ गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। यह रथ यात्रा कोटपूतली तहसील के समस्त ग्राम पंचायतों में 22 मई से 31 मई तक भ्रमण करेगी।

वहीं 01 जून से 08 जून तक बानसूर तहसील की समस्त ग्राम पंचायतों में, 09 जून से 13 जून तक नारायणपुर तहसील की समस्त ग्राम पंचायतों में, इसी तरह 14 जून से 17 जून तक विराटनगर, इसी प्रकार 18 जून से 23 जून तक पावटा, 24 जून से 28 जून तक बहरोड़, 29 जून से 30 जून तक मांढ़ण व 01 जुलाई से 3 जुलाई नीमराणा तहसील के समस्त ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेगा।

अभिरुचि शिविर जारी

कोटपूतली। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कोटपूतली के तत्वाधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर में शनिवार को ध्वजारोहण कर शिविर निदेशक मनोरमा यादव ने शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि कोटपूतली में स्काउट गाइड के तत्वाधान में आयोजित किये जा रहे अभिरुचि शिविर से बालकों को ना केवल सीखने का मौका मिल रहा है बल्कि सर्वांगीण विकास हो रहा हैं। बालक इस अभीरुचि शिविर के माध्यम से अपने कौशल का विकास कर रहे हैं। स्थानीय संघ के प्रभारी एडीसी एवं सीबीईओ भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि शिविर में 150 बालक बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अवकाश के समय का सदुपयोग करते हुए ये सभी बालक-बालिकायें अपनी-अपनी अभिरुचियों को निखार रहे हैं। शिविर में इंग्लिश स्पोकन, पेंटिंग, हारमोनियम वादन, कम्प्यूटर, मेहंदी, सिलाई, ब्यूटीशियन, जूडो कराटे, योग आदि विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर निदेशक मनोरमा यादव ने 25 मई से आने वाले नौतपा को देखते हुये बालकों को इससे बचाव के तरीके बतायें। वहीं शिविर स्टॉफ को भी शिविर समय में दोपहर 10.30 बजे तक बालकों को छोडने हेतु निर्देश दिये। संचालन असिस्टेंट लीडर ट्रेनर स्काउट सीताराम गुप्ता ने किया।

मालपुरा मे तिरंगा यात्रा आज : मालपुरा । ऑपरेशन सिन्दुर मे भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन पर आज मालपुरा मे निकाली जायेगी विशाल तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मे देशभर मे तिरंगा यात्रा निकालने के घौषित कार्यक्रमानुसार आज रविवार को प्रातः आठ बजे पुरानी तहसील बारादरी बालाजी मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली जायेगी।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक सम्पत्ति फ्लैट नम्बर जी-2 ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. बी-9, वृन्दावन रेजीडेन्सी, प्रेम कॉलोनी, दुर्गापुरा, टोंक, रोड, जयपुर मे स्थित है, जिसका बिल्टअप एरिया 810 वर्गफीट है, जिस पर मेरी अभिभाष्य सविता खण्डेलवाल के पति सन्तोष खण्डेलवाल ने एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेज एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड मे रहन (Mortgage) कर रखे है। यह कि मेरी अभिभाष्य सविता खण्डेलवाल के पति संतोष खण्डेलवाल का दिनांक 29.12.2024 को स्वर्गवास हो गया तथा उक्त सम्पत्ति के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण उदायगी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिये अब मेरी अभिभाष्य उक्त सम्पत्ति के असल दस्तावेजो को प्राप्त करना चाहती है तथा उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज मेरी अभिभाष्य सविता खण्डेलवाल को दिए जाते है, यदि इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवास तक की अवधि मे मेरे कार्यालय में सम्पर्क करे। उक्त अवधि गुजर जाने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे। मो- 18002100018/9460943434
केदार राम, एडवोकेट, मो.9460943434, 9799170016

RAJASTHAN REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY
2nd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone No.: 0141-2851900, Website: http://rera.rajasthan.gov.in/
No.F-5(3180)/RERA/Comp./2022To,Jaipur, dated:

NOTICE FOR HEARING

To,
Shivaay Affodable Homes616,617,618,619C-24-C HSB House, 2nd Floor, C-24-C, Bhagwan Das Road, C-scheme Jaipur Rajasthan 302017, Email-avinashdewan@rocketmail.com

Sub: Complaint No. RAJ-RERA-C-N 2022- 5259 titled HEENA HARISH SAGAR V/S Shivaay Affodable Homes.

Sir, Whereas the above named complainants have made complaints to this court under section 31 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.Vide order dated 01.02.2024 this Authority has directed to hand over possession of Flat A-131, Residential Project under CM Jan Avas Yojna named as Gulmohar Park, Jagatpura, Jaipur but you have not complied the same as yet.Whereas, the complainant has filed an application alongwith draft sale deed for direction for execution of sale deed of the aforesaid unit as per order dated 01.02.2024.You are, therefore directed to appear in person or through authorised representative. or counsel for hearing before the Authority on 26 May, 2025 at 11.00 AM to show cause as to why sale deed be not executed in favour of complainant.If you fail to appear for hearing on the given date and time, necessary orders will be passed in accordance with Law, without further notice.Given under my hand and the seal of the court, this ... day of any, 2025.
By order, Deputy Registrar (Court)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय मलसीसर, जिला- झुन्झुनू (राज.)
जंगशेर खान बनाम मुकारब खान वगैरह
अब्दुल गनी बनाम मुकारब खान वगैरह
दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रेषित-
1. जुल्फीकार पुत्र गुलाब खान,
2. जहीर अब्बास पुत्र गुलाब खान,
3. अमजद पुत्र गुलाब खान तमाम जाति कायमखानी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू हाल आबाद बलोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज.)

वादी ने आपके विरूद्ध दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 28.05.2025 को दिन के 10 बजे दावे के उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर के द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उतर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति मे हों या न हों, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टी करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद में सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 2008/23.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर न्यायालय
हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय मलसीसर, जिला- झुन्झुनू (राज.)
इस्लामुदीन बनाम नन्दू वगैरह
दावा बाबत खाता विभाजन

प्रेषित-
नन्दू पुत्र महावीर जाति डाकोत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी ने आपके विरूद्ध दावा बाबत खाता विभाजन का वाद किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 18.06.2025 को दिन के 10 बजे दावे के उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर के द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उतर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति मे हों या न हों, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टी करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद में सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 1997/21.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर न्यायालय
हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय...उपखण्ड अधिकारी...स्थान... कि.रेनवाल...
सुनील कुमार यादव...विरूद्ध...गोपाल वगै....
वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 25/2025

नाम गोपाल पुत्र जीवण, जितेन्द्र यादव पुत्र गोपाल लाल, बाबूलाल यादव पुत्र गोपाल लाल, प्रहलाद पुत्र गोपाल लाल, मीना देवी पुत्री गोपाल लाल, हेमलता पुत्री गोपाल लाल समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील कि0रेनवाल, तहसीलदार कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0, विरूद्ध वाद घोषणा खातेदारी के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 26.05.25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उतर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उतर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 23.5.25 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर उपखण्ड अधिकारी
जिला किशनगढ रेनवाल
जिला जयपुर

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय...उपखण्ड अधिकारी...स्थान... कि.रेनवाल...
धनेश कुमार बलाई...विरुद्ध...सीताराम वगै....
वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 93/2024

नाम सीताराम पुत्रहनुमान, नन्दाराम पुत्र हनुमान, मदनलाल पुत्र हनुमान समस्त जाति धोबी निवासी बद्याल तहसील कि0 रेनवाल, भंवरी देवी पत्नि विरदीचन्द जाति धोबी निवासी एन. बी. शान्ति नगर हसनपुरा म.न.92. खातीपुरा रोड़ जयपुर, ममी देवी पत्नि मुन्नालाल जाति धोबी निवासी सिरसी, तहसील झोटवाड़ा जयपुर, रामचन्द्र पुत्र केशाराम जाति धोबी निवासी बद्याल हाल निवासी एल.बी. नगर झोटवाड़ा जयपुर, सन्जरा देवी पत्नि सोहनलाल जाति धोबी निवासी जैतपुरा तहसील चौमूं, गेन्दी देवी पत्नि सत्यनारायण, सोनी देवी पत्नि नन्नू समस्त जाति धोबी निवासी 59, श्याम बिहारी नाड़ी का फाटक सरकारी स्कूल झोटवाड़ा, तहसीलदार कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0, विरूद्ध वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 28/5/25 को दिन मे 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उतर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उतर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल /सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्टि करे।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपंसजात नही होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।

यह वाद ता. 23.5.25 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर उपखण्ड अधिकारी
जिला किशनगढ रेनवाल
जिला जयपुर

मोक्षधाम के बाहर सड़क पर लगें हैं टांसफार्मर दुर्घटनाओं को दें रहे हैं न्यौता

किशनगढ़ बास। शहर में 36 बिरादरी के लोगों का मौक्ष घाम बांसड़ा रोड पर है। इस मोक्ष धाम की जगह को और बढ़ाने के लिए करीब 2 साल पहले कमेटी को 1200 फीट जमीन दान की गई। मोक्ष धाम से जमीन को जोड़ने के लिए चार दिवारी की जानी है। कमेटी की ओर से एक साल से सरकारी मदद से चारदीवारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका के पास बजट नहीं है इसके लिए और विधायक कांग्रेस का है वह आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे।

किशनगढ़ बास नगर पालिका में गांव गंज बास कृपाल नगर बासड़ा भूरपहाड़ी टाकाहैडी सत्ती की ढाणी को मिलाकर 25 वार्ड लगते हैं। इनमें किशनगढ़ शहर में पांच मोक्ष धाम है जिनमें तीन सार्वजनिक और दो निजी व एक वाल्मीकि समाज का है। वैसे नगर पालिका के गंज बासड़ा भूरपहाड़ी दयालपुर टाकाहेडी और बास कृपाल नगर में निजी और सार्वजनिक शमशान है। यहां कुछ श्मशानों पर नगर पालिका की ओर से विकास के काम कराए गए हैं। लेकिन शहर के सबसे प्रमुख 36 कोमो के मोक्ष धाम को आज तक सरकारी मदद नहीं मिल सकी है।

■ **बार बार शिकायत पर नहीं हटा रहा है विभाग**

हम बात करे शहर के बासड़ा रोड स्थित मौक्ष घाम की तो 12 से अधिक वार्डों के लोग अंत्येष्टि के लिए यहां पर आते हैं। इस मोक्ष धाम के विकास की बात की जाए तो इसकी चार दिवारी करीब 30 साल पहले एक बीड़ी व्यापारी ने कराई थी। इसके बाद फिर 25 साल पहले लायंस क्लब की ओर से बैठने के लिए बरामदे का निर्माण कराया गया। फिर लंबे अंतराल के बाद 6 साल पहले मोक्ष घाम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आने पर व्यापारी संजय सिंघल रमेश जैन हरमेश खुराना आदि लोगों ने बीड़ा उठाया और शहर से करीब 10 लाख से अधिक की राशि जन सहयोग से एकत्रित कर मोक्ष धाम का जीर्णोद्धार कराया। इससे पहले भी अंत्येष्टि स्थल के ऊपर टीन शेड के लिए शहर से चंदा किया गया। मोक्ष धाम के गेट का निर्माण भामाशाहों के द्वारा कराया गया है। पानी का बोरिंग भामाशाहों के द्वारा कराया गया। आइस बॉक्स भामाशाहों ने दान किए हैं। मोक्ष धाम पर लकड़ी की व्यवस्था कमेटी की ओर से की जाती है। लावारिस व गरीब व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए कमेटी की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनो से लकड़ी लाने ले जाने पर कड़ी सख्ती के कारण लकड़ी की कमी होने लगी है। बढ़ती आबादी के चलते मोक्ष धाम छोटा पढ़ने लगा। लंबे समय से मोक्ष धाम से लगती खाली पड़ी जमीन को लेकर प्रयास किए गए परंतु बात नहीं बनी। करीब दो साल पहले मोक्ष धाम से लगती जमीन का बेचान हो गया और करीब 1200 फीट जमीन समाज सेवी संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष परमानंद लखयाणी के प्रयासों से मोक्ष धाम को मिल गई। अब दो साल पहले मोक्ष धाम की जगह को बड़ी करने के लिए जमीन तो मिल गई पर चार दिवारी के लिए पैसे नहीं है।

मोक्ष धाम विकास कमेटी के पास इतना बजट नहीं कि वह चार दिवारी का निर्माण करा सके। मोक्ष धाम विकास कमेटी के हरमेश खुराना ने बताया कि दान मिली भूमि पर चार दिवारी व लकड़ी रखने के लिए बरामदा निर्माण कराने के लिए करीब 20 लाख रुपए की जरूरत है और इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष व विधायक सहित जनप्रतिनिधियों से अनेक बार कहा गया है लेकिन आश्वासन सब दे रहे पर निर्माण का काम कोई नहीं करा रहे है। खुराना ने बताया 36 बिरादरियों के इस मोक्ष धाम के विकास के लिए आज तक कोई सरकारी मदद कमेटी को नहीं मिली है।

सडक हादसे में दो की मौत, एक घायल

टोंक। उनियारा थाना क्षेत्र के टोंक-सवाईमाधोपुर हाईवे पर सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल युवक को जिला सआदत हॉस्पिटल टोंक में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के हमीरपुरा निवासी नरेंद्र सैनी, विष्णु सैनी और सुमन मोटरसाईकिल पर सवार होकर शनिवार को अलीगढ़ की ओर जा रहे थे, जब वह उनियारा बाईपास पर पहुंचे तो उनके आगे चल रहे ट्रैक्टर के चालक ने अचानक ब्रेक लिया दिया, जिससे उनकी मोटरसाईकिल ट्रॉली से जा टकराई, तीनों बाईकसवार गंभीर घायल हो गए। बाद में ग्रामीणो की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को 108 एम्बुलेन्स से टोंक सआदत चिकित्सालय भिजवाया। जहां उपचार के दौरान कुछ देर में ही नरेंद्र सैनी और विष्णु सैनी की मौत हो गई। तीसरे सवार सुमन की हालत गंभीर है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है।

खनन माफिया सहित विभिन्न धाराओं में पांच गिरफ्तार

सांभरझील, (निसं)। स्थानीय पुलिस की गठित ने विभिन्न धाराओं में पांच जनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इसके अंतर्गत ट्रेक्टर-ट्रोली मय अवैध खनिज चेजा पत्थर से भरी हुई को जप्त कर खनन माफिया को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अवैध खनन के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध रूप से देशी शराब बेचने वाले दो जनों को गिरफ्तार कर कब्जे से देशी शराब जप्त कर दोनो आरोपियो के खिलाफ अलग-अलग आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किए गए है। शैक्षिणक संस्थाओं के पास धुम्रपान सामग्री बेचने पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से धुम्रपान सामग्री जप्त कर आरोपी के खिलाफ धुम्रपान